मुकुल मुद्गल, सी. जे. और अजय तिवारी जे. जे. के समक्ष

भारतीय चिकित्सा परिषद, - ***अपीलकर्ता***

बनाम

गोल्ड फील्ड शिक्षासंस्था और अन्य - ***उत्तरदाता***

एल. पीए. ए. संख्या 788 वर्ष 2010

वर्ष 2010 में सीडब्ल्यूपी नंबर 5948

24 सितंबर 2010

भारत का संविधान, 1950- अनुछेद 226– इंडियन मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956– धारा 10- कॉलेज की स्थापना जारी करने के लिए पुन: आग्रह- –एमसीआई ने नए कॉलेजों की स्थापना के लिए समय और कार्यक्रम निर्धारित किया जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दी थी–उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति नहीं है–अनिवार्य निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती और निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा - अपील की अनुमति।

माना गया कि हम मृदुल धर (नाबालिग) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में समय-सारणी निर्धारित करने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनिवार्य निर्देशों से बंधे हैं। भले ही दिए गए मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृदुल धर के मामले में अनुमोदित उक्त अनिवार्य अनुसूची में छूट की अनुमति देने वाले कुछ निर्देश हों, योजना के अनिवार्य प्रावधानों में ढील देना इस न्यायालय का काम नहीं है क्योंकि इस न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां नहीं हैं। मृदुल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य निर्देशों की अवहेलना नहीं की जा सकती और निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा।

(पैरा 15)

गुरमिंदर सिंह, वकील, *अपीलकर्ता*

राजीवी आत्मा राम, वरिष्ठ वकील अर्जुन प्रताप अत्मा राम के साथ।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए वकील

रमेश होंडा, *प्रतिवादी संख्या 2* के लिए वकील।

मुकुल मुद्गल, सी.जे.

(1) यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 24 मई, 2010 के फैसले और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है: -

(2) प्रतिवादी संख्या 1 ने वर्ष 2008 में 300 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित किया था। वर्ष 2009 में यह एक मेडिकल कॉलेज शुरू करना चाहता था और इस उद्देश्य के लिए, अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए 9 जून, 2009 को हरियाणा राज्य में एक आवेदन दिया गया। राज्य सरकार ने 20 जुलाई, 2009 को एक निरीक्षण किया। अनिवार्यता प्रमाणपत्र न तो दिया गया और न ही अस्वीकार किया गया। 17 अगस्त, 2009 को, प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 विश्वविद्यालय बीडी शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक को आवेदन की संबद्धता के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। इससे पहले कि इस पर निर्णय लिया जा सके, इसने केंद्र सरकार को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 10 (ए) के तहत नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एक योजना का प्रस्ताव दिया। दिनांक 22 अक्टूबर 2009 के आदेश *के अनुसार* केन्द्र सरकार द्वारा इस आवेदन को निम्नानुसार कमियों को इंगित करते हुए पुनः निरस्त कर दिया गया:--

(i) संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र

(ii) संबद्ध विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति

(iii) 300 बिस्तरों वाले कार्यात्मक अस्पताल का प्रमाण।

(3) 29 मार्च 2010 को प्रतिवादी नंबर 1 ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हुए रिट याचिका दायर की: -

(i) मामले के रिकॉर्ड तलब करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें

(ii) 22 अक्टूबर, 2009 को सर्टिओरीरी क्वैशिंग आदेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें, अनुलग्नक पी-एलआई;

(iii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें जिसमें प्रतिवादी स्टेल को याचिकाकर्ता के आवेदन (अनुलग्नक पी-3) पर निर्णय लेने और याचिकाकर्ता को अनिवार्यता प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया जाए।

(iv) परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें जिसमें प्रतिवादी विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए (अनुलग्नक पी-6) और याचिकाकर्ता को संबद्धता की सहमति प्रदान की जाए।

(v) में एक रिट जारी करें (वह परमादेश की प्रकृति के अनुसार उत्तरदाताओं- भारत सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद को निर्देश देता है कि याचिकाकर्ता द्वारा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्तुत योजना पर विचार करें (अनुलग्नक पी-7) योग्यता के आधार पर और उक्त अनुमति प्रदान करें सत्र 2010-11 से तत्काल प्रभाव से।

(vi) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे। जारी किए गए।

(4) अपीलकर्ता ने याचिका पर लिखित बयान दायर किया, जिसमें उसने दलील दी कि याचिकाकर्ता- प्रतिवादी के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके द्वारा पेश की गई योजना अधूरी थी और इस प्रकार 'धारा के अर्थ और अधिनियम के 10-ए' के प्रावधान के तहत कोई आवेदन नहीं है। इसने आगे दलील

दी कि भारत सरकार के लिए इस योजना को अस्वीकार करना स्वीकार्य है क्योंकि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके रुख के अनुसार कानून की नजर में कोई योजना नहीं थी। नतीजतन, उसने दलील दी कि चूंकि 30 सितंबर 2009 तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष कोई योजना नहीं रखी गई थी। प्रतिवादी नंबर 1 का दावा स्वीकार नहीं किया जा सका। भारत सरकार ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इसके विपरीत, 30 अप्रैल, 2010 को याचिका लंबित रहने के दौरान 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' जारी किया गया। एक पखवाड़े बाद, 14 मई, 2010 को, विश्वविद्यालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को अनंतिम संबद्धता भी जारी की। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के दौरान, भारत सरकार के विद्वान वकील ने उस स्तर पर भी अपीलकर्ता को योजना से रियायत दी कि भारत सरकार आगे बढ़ने के लिए तैयार है। । इस रियायत के आधार पर और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े एक ऐसे ही मामले में पहले के निष्कर्ष के आधार पर, साथ ही इस कारण से कि कई मामलों में, समय सीमा का पालन नहीं किया गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि भारत सरकार के पास इस योजना को अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं थी और उसने निम्नलिखित निर्देश दिये:-

> *"उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, विवादित संचार (अनुलग्नक पीएच) को रद्द कर दिया गया है, याचिकाकर्ता एक सप्ताह के भीतर योजना को केंद्र सरकार को फिर से प्रस्तुत करेगा। केंद्र सरकार उसके बाद इसे एक सप्ताह की अवधि के भीतर एमसीआई को संदर्भित करेगी। एमसीआई तदनुसार कानून के अनुसार योजना की जांच और मूल्यांकन करेगा और निरीक्षण आदि करने के बाद केंद्र सरकार से योजना की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। केंद्र सरकार तदनुसार अनुमति देने के लिए उचित आदेश पारित करेगी। याचिका का निपटारा किया गया।"*

(5) घटनाओं के एक अजीब मोड़ में, भारत सरकार, जिसे सामान्य तौर पर एक योजना को अस्वीकार करने की अपनी शक्ति की अस्वीकृति से दुखी होना चाहिए था, ने कोई अपील दायर नहीं की। इससे भी अधिक, दिलचस्प बात यह है

कि इसने सेवा के मामले में हमारे सामने एकपक्षीय बने रहने का विकल्प चुना है।

(6) अपीलकर्ता के विद्वान वकील की पहली दलील यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि केंद्र सरकार के पास आवेदन को अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है, गलत है। इस दलील को इस बुनियादी आधार पर बहुत अच्छी तरह से नकारा जा सकता था कि यह केंद्र सरकार ही थी जो इस घोषणा से व्यथित होगी और वास्तव में इस निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए उचित पार्टी थी। ऐसा नहीं होने पर, यह तर्क दिया जा सकता है कि अपीलकर्ता-मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं था। हालाँकि, इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए, हम इसे संबोधित करना उचित समझते हैं।

(7) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए के प्रासंगिक प्रावधान को इस प्रकार पढ़ता है:

"नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अध्ययन के नए पाठ्यक्रम आदि के लिए अनुमति।

10. ए (आई) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी:

(a) कोई भी व्यक्ति मेडिकल कॉलेज या स्थापित नहीं करेगा

(b) कोई मेडिकल कॉलेज नहीं करेगा:

(i) अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्च पाठ्यक्रम खोलें (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) जो ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के छात्र को किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता के पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा; या

(ii) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त केंद्र सरकार की पिछली अनुमति को छोड़कर, अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी

भी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में अपनी प्रवेश क्षमता बढ़ाएँ।

स्पष्टीकरण 1. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति या ट्रस्ट शामिल है लेकिन दस्तावेज़ों में केंद्र सरकार शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण 2. इस खंड के प्रयोजनों के लिए "प्रवेश किसी मेडिकल कॉलेज में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) के संबंध में क्षमता का अर्थ है छात्रों की अधिकतम संख्या जो ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए परिषद द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती है।

(2) (ए). सहायक व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज, उप-धारा (1) के तहत इजाज़त प्राप्त करने के उद्देश्य से खंड (बी) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार को एक योजना प्रस्तुत करें और केंद्र सरकार अपनी सिफारिशों के लिए योजना को परिषद के पास भेजेगी।

(बी). खंड (ए) में निर्दिष्ट योजना ऐसे प्रारूप में होगी और इसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे और इस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसी फीस के साथ निर्धारित किया जाएगा।

(3) उप-धारा (2) के तहत परिषद द्वारा एक योजना प्राप्त होने पर परिषद ऐसे अन्य विवरण प्राप्त कर सकती है जो संबंधित व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज से आवश्यक समझे जा सकते हैं, और उसके बाद, वह -

(a) यदि योजना दोषपूर्ण है और इसमें कोई आवश्यक विवरण शामिल नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति या कॉलेज को लिखित अभ्यावेदन देने के लिए उचित अवसर दें और ऐसे व्यक्ति या मेडिकल कॉलेज परिषद द्वारा निर्दिष्ट दोषों, यदि कोई हो, को सुधारने के लिए खुला होगा। ।

(b) योजना पर विचार करें; उप-धारा (7) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में

रखते हुए और उस पर अपनी सिफारिशों के साथ योजना को केंद्र सरकार को प्रस्तुत करें।"

(8) प्रतिवादी के विद्वान वकील का तनाव भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10 की उपधारा 2 (ए) में 'केंद्र सरकार संदर्भित करेगी' शब्दों पर था और यह प्रस्तुत किया गया कि केंद्र सरकार का कार्य केवल मंत्रिस्तरीय था और यदि कोई कमियाँ थीं। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा जांच की जानी आवश्यक थी और केंद्र सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं थी।

(9) हालाँकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी दलील अधिनियम की उपधारा 2(बी) पर आधारित की है, जिसमें कहा गया है कि खंड (ए) में निर्दिष्ट योजना इस तरह के रूप में होगी और इसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे और इस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसे शुल्क के साथ जो निर्धारित किया जाए उसके साथ दी जाएगी।

(10) अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री गुरमिंदर सिंह ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि केंद्र सरकार का कार्य मंत्रिस्तरीय था, फिर भी योजना की वैधता और व्यवहार्यता के गुणों पर विचार किए बिना, केंद्र सरकार केवल एक योजना को आगे बढ़ा सकती है जो टीसी विनियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया। उसने प्रस्तुत किया कि यदि तीन आवश्यक दस्तावेज अर्थात्; "(ए) संबंधित राज्य सरकार को अनिवार्यता प्रमाणपत्र; (बी) संबद्ध विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति (सी) 300 बिस्तरों वाले कार्यात्मक अस्पताल का प्रमाण योजना के साथ उपलब्ध नहीं था, आवेदन अधूरा था और इस प्रकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अग्रेषित नहीं किया जा सका।

(11) प्रतिवादी संस्थान के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव आत्मा राम ने अधिनियम की धारा 10-ए और 33 के तहत बनाई गई योजना के खंड 5 का भी उल्लेख किया जो इस प्रकार है: -

"5. 1 स्वास्थ्य एवं पारिवारिक डब्ल्यूसीएल किराया मंत्रालय द्वारा परिषद को भेजा गया आवेदन मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए परिषद में पंजीकृत किया जाएगा। आवेदन का पंजीकरण केवल मूल्यांकन के लिए आवेदन की स्वीकृति का संकेत

देगा। अपूर्ण आवेदन पंजीकृत नहीं किए जाएंगे और ऐसे आवेदनों में कमियां बताते हुए संलग्नक और प्रसंस्करण शुल्क के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को वापस कर दिए जाएंगे। यदि केंद्र सरकार द्वारा मूल्यांकन के लिए निर्देशित किया गया है तो उनकी परिषद ऐसे अपूर्ण आवेदनों को पंजीकृत करेगी, लेकिन उनके संबंध में केवल एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और कोई सिफारिश नहीं करेगी।

(12) उपरोक्त खंड 5 पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि भारत सरकार द्वारा संदर्भित अपूर्ण आवेदन को कमियों और यहां तक कि ऐसे अपूर्ण आवेदनों को इंगित किए बिना पंजीकरण के बिना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय को वापस किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्देशित एमसी जे द्वारा मूल्यांकन किया जाना होगा, यदि उसने सरकार द्वारा लौटाए गए आवेदनों को दोबारा भेजा है। विनियमन में उपरोक्त शर्त के आलोक में यह श्री अल्मा राम द्वारा प्रस्तुत किया गया था और हमारे विचार में कुछ औचित्य के साथ कि अधूरे आवेदनों को भी भारत सरकार द्वारा एमसीआई को अग्रेषित किया जाना था और अधूरे आवेदन कमियों के साथ वापस करने पर एमसीआई द्वारा बताई गई कमियों के आधार पर सरकार इसे फिर से मूल्यांकन के लिए एमसीआई को भेज सकती है। अपीलकर्ता के लिए श्री गुरमिंदर सिंह ने मृदुल धर के मामले (सुप्रा) में अनिवार्य समय-सारणी पर भरोसा करने के अलावा खंड 2 और 3 और विशेष रूप से खंड 3 पर भी भरोसा करने की मांग की, जो इसकी प्रस्तावना में निम्नानुसार बताया गया है:

"3. **फॉर्म और प्रक्रिया:** उपरोक्त पात्रता और योग्यता मानदंडों की पूर्ति के अधीन, मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए फॉर्म –1 में आवेदन व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित पैन में प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात् । **मैं XXX XXX XXX**

...3. पैराग्राफ 2 के तहत योग्यता मानदंड में निर्धारित आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज...

Xxx xxx xxx

उन्होंने तर्क दिया कि खंड (3) के अनुसार पात्रता की आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोई योजना प्रस्तावित की जा सकती है।

(13) अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दूसरी दलील यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई समय-सारिणी निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है, उचित नहीं है क्योंकि यह इस कारण पर आधारित है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया साथ ही केंद्र सरकार निर्धारित समय से परे आशय पत्र और अनुमतियां दे रही है और इसलिए, प्रतिवादी (एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता) कॉलेज के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि **मृदुल धर (नाबालिग) और अन्य *बनाम* भारत संघ और अन्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार**[1]**,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समयबद्ध कार्यक्रम को अनिवार्य किया था। मृदुल धर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आवेदन प्राप्त करने और केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आवेदनों के प्रसंस्करण की अनुसूची

प्रसंस्करण की अवस्था	अंतिम तिथी
1. केन्द्र सरकार द्वारा आवेदनों की प्राप्ति	1 अगस्त से 31 अगस्त (दोनों दिन सम्मिलित) तक किसी भी वर्ष का ।
2. एमसीआई द्वारा केंद्र सरकार से आवेदनों की प्राप्ति	30 सितंबर
3. आशय पत्र जारी करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद की केंद्र सरकार को सिफारिशें	31 दिसंबर

[1] जे. टी. 2005(1) एस. सी. 340.

		31 जनवरी
4	सरकार द्वारा केंद्र को आशय पत्र जारी करना	
	5. अनुमति पत्र के लिए अनुरोध करने वाले केंद्र सरकार द्वारा आवेदक से उत्तर की प्राप्ति,	28 फरवरी तक
	6. अनुमति पत्र जारी करने पर विचार हेतु मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र सरकार से पत्र की प्राप्ति,	15 मार्च
	7. अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद की केंद्र सरकार को सिफ़ारिशें	15 जून
	8. केंद्र सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना	15 जुलाई

ध्यान दें: (I) आवेदक द्वारा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, जिसमें संगठन, बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, आवेदक की प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताओं के बारे में जानकारी शामिल है, की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जांच की जाएगी। एक निरीक्षण के माध्यम से और उसके बाद परिषद केंद्र सरकार द्वारा आशय पत्र जारी करने की सिफारिश कर सकती है।

(2) यदि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए उपरोक्त कार्यक्रम का पालन नहीं किया जाता है तो मेडिकल कॉलेज को नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।"

उपरोक्त अनुसूची के आलोक में 11वें बीएलसी सुप्रीम कोर्ट ने आगे इस प्रकार व्यवस्था दी:

'14. नए कॉलेज की स्थापना या मौजूदा कॉलेज में दाखिला बढ़ाने के

लिए लाइम शेड्यूल का सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

15. विनियमों में प्रदान की गई समय-सारणी का सभी संबंधित पक्षों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा, अन्यथा चूक करने वाले किस पक्ष के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की जाएगी। "

तदनुसार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित उक्त अनुसूची निर्धारित की थी। विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित उक्त अनिवार्य अनुसूची के प्रभाव और प्रभाव को कम नहीं कर सकता है।

(14) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जहां अपीलकर्ता स्वयं समय-सीमा से हट गया है और तर्क दिया है कि अपीलकर्ता के लिए केवल वर्तमान मामले में इतना कठिन रुख अपनाने का कोई कारण नहीं था, जहां विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देश केवल निरीक्षण करना है। विद्वान वकील के अनुसार, यह अलग होता यदि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अनुमति देने का निर्देश दिया होता, लेकिन वर्तमान मामले में केवल निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। हमने नोट किया है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उदाहरण के लिए, **एज़सीसीया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च** *बनाम* **यूनियन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूपी (सी) नंबर 4901/2010) में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार समय-सारिणी से कुछ हटकर है जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय** ने उक्त विचलनों को स्वीकार कर लिया है लेकिन एकल न्यायाधीश के वर्तमान फैसले को चुनौती देने की मांग की है। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कुछ अन्य उदाहरणों का भी हवाला दिया जो मृदुल धर मामले की अनुसूची से विचलन का संकेत देते हैं। भले ही अपीलकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क में दम है और ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां अपीलकर्ता ने ऐसा कानूनी रुख नहीं अपनाने का विकल्प चुना है, फिर भी जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम माननीय के अनिवार्य निर्देशों से बंधे हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मृदुल धर के मामले में एक समय

सारिणी निर्धारित कर रहा है। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने 19 सितंबर, 2010 के एक समाचार पर भरोसा किया, जिसमें वर्तमान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सुझाए गए सुधारों के बारे में एक बयान दिया गया था, जिसमें लगभग 500 नए मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, यह बहुत अजीब है कि एक तरफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल कॉलेजों में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दे रही है और दूसरी तरफ, उसने वर्तमान मामले में इतना कठोर और पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। निरीक्षण करने से भी इनकार कर दिया।

(15) इसके अलावा, भले ही दिए गए मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृदुल धर के मामले (सुप्रा) में अनुमोदित उक्त अनिवार्य अनुसूची में छूट की अनुमति देने वाले कुछ निर्देश हैं, लेकिन इस न्यायालय के लिए अनिवार्य प्रावधानों को शिथिल करना उचित नहीं है। योजना क्योंकि इस न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ नहीं हैं। मृदुल के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अनिवार्य निर्देशों की अवहेलना नहीं की जा सकती है और निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा।

(16) हमारे विचार में विनियम 3 में बताई गई आवश्यकताओं की अनुपस्थिति के कारण एमसीआई द्वारा भारत सरकार को अधूरे आवेदनों को निर्दिष्ट कमियों के साथ वापस भेजा जा सकता है और श्री आत्मा राम की याचिका स्वीकार कर ली गई होगी। हालाँकि, हम मृदुल धर के मामले में समय-सारणी निर्दिष्ट करने वाले कानून की स्थिति की अवहेलना नहीं कर सकते हैं और किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो मृदुल धर के मामले के प्रभाव को नकार या कम कर सकती है। परिणामस्वरूप हमारा मानना है कि श्री आत्मा राम की याचिका केवल मृदुल धर के मामले *(सुप्रा)* में तय सीमा के आधार पर स्वीकार नहीं की जा सकती।

(17) इन परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति का पालन करते हुए, हम लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति देते हैं। 'परिणामस्वरूप उसकी रिट याचिका खारिज कर दी जाएगी।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा